संचिका स0–10/विविध–18–52/2012–.........606(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 30/4/2025

विषयः–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु मूल कोटि के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक), मूल कोटि वेतनमान लेवल–9 (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–2, 9300–34800 ग्रेड पे 5400) के कुल 01 पद के सृजन की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में सृजित किये गये पद की संख्या	ग्रेड पे	वेतन स्तर	प्रविष्टि वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक), मूल कोटि	01 (एक)	5400	Level-09	53100

2. पंचकर्म थेरापिस्ट (01 महिला एवं 01 पुरूष) की सेवा वाह्य स्त्रोत (आउटसोर्स) के माध्यम से ली जायेगी, जिसके मानदेय का भुगतान संबंधित स्थापना के बजट शीर्ष अंतर्गत संविदा सेवाएँ मद से की जायेगी।

3. उक्त सृजित पद पर वार्षिक व्यय भार रू0 11,86,356/–(ग्यारह लाख छियासी हजार तीन सौ छप्पन) मात्र अनुमानित है (अनुलग्नक–I)।

4. उक्त सृजित पद पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–05, मुख्य शीर्ष–2012–राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक– उपमुख्य शीर्ष–03–राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक–लघु शीर्ष–105–चिकित्सा सुविधाएं–उपशीर्ष–0001–अन्य शुल्क–चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, विपत्र कोड–05–2012031050001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

6. राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–25.04.2025 में मद संख्या–31 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.4.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–10/विविध–18–52/2012–606(10)/स्वा0, पटना, दिनांक– 30/4/2025

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 25.04.2025 में मद संख्या–31 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल, बिहार के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–572/रा0स0 दिनांक–01.09.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह--मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्राचार्य/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7 (बजट शाखा), 16, 17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.4.25

सरकार के अपर सचिव।